<u>न्यायालयः-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.</u>

<u>आप.प्र.क—408 / 06</u> संस्थित दिनांक—22.06.2006 फाई.क.234503000192006

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी जिला बालाघाट म०प्र०।

.....अभियोजन

विरुद्ध

मनोज कुमार उर्फ धन्नू पिता शम्भूलाल मरकाम, उम्र—33 वर्ष, जाति लोहार, निवासी—ग्राम सकवाह, थाना मवई, जिला मण्डला म.प्र. <u>हाल मुकाम—</u>ग्राम अतरचुआ, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट म.प्र.अभियुक्त

-ः <u>निर्णय</u> ः-

दिनांक- 28.11.2017 को घोषित::-

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304ए का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—06.05.06 को शाम 4:00 बजे, स्थान ग्राम अलना रोड पर थाना गढ़ी में अपने आधिपत्य के वाहन क—एम.पी—52 एम / 0499 ट्रेक्टर को सार्वजनिक मार्ग पर उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाते हुए मृतक इतवारी को गिराकर मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—07.05.06 को देवकंठ सोनी पुलिस थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक मोहरिंर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उसने मर्ग क—08/06 की मर्ग पंचनामा कार्यवाही की थी, जिसमें उसने फरियादी रामिसंह गोंड, साक्षी गुलाबसिंह, उदयभानसिंह, फुलवतीबाई, प्रेमिसंह, कमलिसंह, पूरन, संतराम के कथन लेखबद्ध किये थे। जांच में पाया था कि दिनांक—06.05.06 को ट्रेक्टर क—एम.पी—52 एम/0499 का चालक अभियुक्त मनोज उर्फ धन्नू मरकाम, ग्राम अंतरचुआ से बारात लेकर ट्रेक्टर को तेज रफ्तार एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए ले गया था। इस कारण मृतक इतवारी गोंड उचट कर नीचे गिर गया था। वह रात्रि के 3:00 बजे फौत हो गया था। उक्त घटना के आधार पर पुलिस थाना गढ़ी ने अपराध कमांक—20/06 का

प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- 3— अभियुक्त को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 01 में उल्लेखित धारा का अपराध विवरण बनाकर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 4— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:—

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—06.05.06 को शाम 4:00 बजे, ग्राम अलना रोड पर थाना गढ़ी में अपने आधिपत्य के वाहन ट्रेक्टर कमांक—एमपी—52 एम/0499 को सार्वजनिक मार्ग पर उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाते हुए मृतक इतवारी को गिराकर मृत्यु कारित की थी, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6— आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.11 का कथन है कि वह दिनांक—07.05.2006 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी से आरक्षक धानेश क—316 ईतवारी के शव को परीक्षण के लिए लाया था। मृतक के शरीर पर चिकित्सक ने निम्न उपहितयां पाई थी। चोट क—1 एक मूंदी हुई चोट दाहिने टेम्पोरल सिर के भाग में थी, जिसका विच्छेद करने पर दाहिनी टेम्पोरल हड़ड़ी में फ्रेक्चर पाया था। चोट का आकार 1 बाई 1 इंच था, घाव पर खून जमा हुआ था। चोट क—2 एक मूंदी हुई चोट दाहिनी कनपटी के पीछे, जिसका आकार 1 बाई 1 इंच था, जिसका विच्छेद करने पर ऑक्सिपिटल हड़ड़ी में फ्रेक्चर होना पाया था। चोट क—3 एक कटा—फटा घाव दाहिने कान के बाहरी भाग में था, जिसका आकार आघा इंच बाई आधा इंच था, घाव पर खून जमा था। चोट क—4 एक मूंदी हुई चोट सिर के फोरहैड भाग में थी, जिसका आकार 1 इंच बाई 1 इंच थी। सिर के फन्टल बोन

में फ्रेक्चर होना पाया था। मृतक के हाथ एवं पैर में अकड़न मौजूद थी। साक्षी ने मृतक के शरीर का आंतरिक परीक्षण करने पर मृतक की खोपड़ी, कपाल, कशेरूका सिर के ऑक्सिपिटल, टेम्पोरल एवं फ्रन्टल बोन में फ्रेक्चर होना पाया था। झिल्ली, मस्तिष्क, मेरूरज्जू कंजस्टेड थे। परदा, पसली कोमलस्थ, फुफ्फुस, कंठ, श्वासनली, दाहिना व बांया फेंफड़ा, पेरिआन, पेरिकार्डियम, पेट का परदा, आंतो की झिल्ली, छोटी व बड़ी आंत, लिवर, प्लीहा, गुर्दा, भीतरी व बाहरी जननेन्द्रियां हेल्दी व कंजेस्ट्रेंड थे। हृदय के दाहिने चेम्बर में जमा हुआ खून था। चिकित्सक ने चोट की अवधि के अभिमत में बताया था कि मृतक के सिर में जो फ्रेक्चर थे, वह मृत्यु पूर्व के थे, किसी सख्त हथियार द्वारा पहुंचाए गए थे, जो उसके परीक्षण के 24 से 48 घंटे के अंदर के थे। साक्षी ने मृतक की मृत्यु के संबंध में अभिमत में बताया था कि मृतक की मृत्यु का कारण कोमा था, जो मृतक के सिर में आए फ्रेक्चर ऑक्सिपिटल, टेम्पोरल एवं फ्रन्टल बोन में आने के कारण हुई थी, जो 24 से 48 घंटे के अंदर की थी। चिकित्सक की रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि परीक्षण के दौरान मृतक के शरीर में शराब की मात्रा पाई गई थी। साक्षी ने सुझाव में यह भी अस्वीकार किया है कि जिस शव का परीक्षण किया गया था, उसकी मृत्यु लगभग एक सप्ताह पूर्व हुई थी।

- 7— प्रकरण में यह देखना है कि क्या अभियुक्त ने प्रकरण में जप्तशुदा वाहन से आहत को टक्कर मारकर प्रकरण की घटना कारित की थी।
- 8— कमलिसंह अ.सा.4 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से 3—4 वर्ष पूर्व की ग्राम अलना की है। मृतक इतवारी ट्रेक्टर से गिरा था। घटना दिनांक को मृतक ट्रेक्टर में बैठकर ग्राम मंगलाखेड़ी उदयसिंह की बारात में गया था। मृतक इतवारी ट्रेक्टर में सामने बैठा था, ग्राम अलना के पास गिर गया था। मृतक इतवारी को उठाकर ग्राम अतरचूहा ले गए थे। घटना के समय मृतक शराब पीए हुए था। मृतक इतवारी ट्रेक्टर से उसकी गलती के कारण गिरा था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त घटना दिनांक को वाहन तेज गित से चला रहा था। मोड़ में ट्रेक्टर जल्दी मोड़ने के कारण इतवारी ट्रेक्टर से गिर गया था, ट्रेक्टर पलटा नहीं था। साक्षी बारात से लौटकर आया था तो साक्षी को पता लगा था कि इतवारी की मृत्यु हो गई है। इतवारी बहुत शराब पीये हुए था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी

ने यह बताया है कि ड्राईवर कौन था, उसने नहीं देखा था। इतवारी जबरदस्ती ट्रेक्टर में बैठ गया था। शराब के नशे के कारण इतवारी ने कहीं पकड़ा नहीं था, इस कारण वह गिर गया था। ट्रेक्टर जिस सामान्य गति से चलता है, वैसे ही चल रहा था। इतवारी उसकी गलती से मरा है। घटना में अभियुक्त ड्राईवर की कोई गलती नहीं थी।

9— रामजी अ.सा.1 का कहना है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से 4 वर्ष पूर्व की है। मृतक इतवारी साक्षी का बहनोई था। मृतक इतवारी की ट्रेक्टर से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। साक्षी को घटना के बारे में उसकी बहन ने बताया था कि ट्रेक्टर को अभियुक्त चला रहा था एवं बारात लेकर जा रहा था। ट्रेक्टर से इतवारी गिर गया था। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ी में की थी। घटना के समय साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। घटना साक्षी के सामने नहीं हुई थी। अभियुक्त वाहन चलाकर ले जा रहा था। साक्षी ने पुलिस को बयान में बताया था कि अभियुक्त ट्रेक्टर को तेज गित से चलाकर ले जा रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल पर अभियुक्त को ट्रेक्टर चलाते हुए नहीं देखा था। घटना कैसे हुई थी, साक्षी को पता नहीं है।

10— गुलाबसिंह अ.सा.3 का कहना है कि वह अभियुक्त को जानता है। मृतक इतवारी ट्रेक्टर से ग्राम अलना में गिर गया था। साक्षी मोटरसाईकिल से अलना जा रहा था। इतवारी के ट्रेक्टर से गिरने पर ट्रेक्टर 4—5 मीटर आगे निकल गया था। इतवारी ट्रेक्टर के बोनट से गिर गया था, लेकिन मृतक कैसे गिरा साक्षी को पता नहीं है। अभियुक्त वाहन तेज गित से चला रहा था। साक्षी ट्रेक्टर से करीब 50 मीटर की दूरी पर था। पुलिस ने साक्षी के सामने मौकानक्शा प्रदर्श पी—1 बनाया था। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी—2ए के बयान दिये थे। साक्षी के सामने पुलिस ने मृत्यु जांच पंचायतनामा, नक्शा पंचायतनामा कमशः प्रदर्श पी—2 एवं प्रदर्श पी—3 बनाए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। घटना कैसे हुई थी, साक्षी को पता नहीं है। साक्षी ने जन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे वह किस संबंध में थे, पुलिस ने साक्षी को पढ़कर नहीं बताया था।

11— पूरन अ.सा.5 का कहना है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर को अभियुक्त मनोज उर्फ धन्नू चला रहा था। साक्षी जब बारात से वापस आ रहा था तो उसे पता चला था कि इतवारी खत्म हो गया है। साक्षी ने उसका पुलिस बयान प्रदर्श पी—4 का अ से अ भाग पुलिस को देना बताया है। प्रतिप्रीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

12— फूलवतीबाई अ.सा.2 का कथन है कि मृतक इतवारी उसका पित है। उसका पित ट्रेक्टर से बारात गया था। ट्रेक्टर से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। ट्रेक्टर को अभियुक्त चला रहा था। साक्षी ने घटना कैसे हुई नहीं देखा था। साक्षी को घटना में उपस्थित व्यक्तियों ने बताया था कि ट्रेक्टर तेज गित से चलने के कारण इतवारी गिर गया था। साक्षी को पता नहीं है कि अभियुक्त घटना के समय वाहन किस गित से चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के समय अभियुक्त को ट्रेक्टर चलाते हुए नहीं देखा था। घटना के समय वह घर पर थी, इसलिए उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है।

13— पेमलिसंह अ.सा.6 का कहना है कि वह अभियुक्त को जानता है। अभियुक्त गाड़ी का ड्राईवर है। साक्षी को घटना के बारे में जानकारी नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

14— संतराम अ.सा.13 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से 10 वर्ष पूर्व की ग्राम अतरचूहा की दिन के 3:00 बजे की है। वह उदयसिंह की बारात लेकर ग्राम अतरचूहा के लोगों के साथ ग्राम मलगाकुंआ ट्रेक्टर से जा रहा था। ट्रेक्टर में बारात के लोग थे। ट्रेक्टर को अभियुक्त चला रहा था। ट्रेक्टर धीरे चल रहा था। बाराती लोग चिल्ला रहे थे कि वह गिर गया, लेकिन जो गिरा था, साक्षी को उसका नाम पता नहीं है। सभी बाराती भागने लगे थे। सभी व्यक्ति गिरने वाले व्यक्ति को छोड़कर चले गए थे। जिस ट्रेक्टर से बारात गई थी, उस ट्रेक्टर का साक्षी को नंबर पता नहीं है, लेकिन ट्रेक्टर का रंग लाल था। साक्षी ट्रेक्टर की ट्रॉली में बैठा था। जो व्यक्ति ट्रेक्टर से गिरा था वह जिन्दा था, बाद में मरा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना किसकी लापरवाही से हुई थी उसे पता नहीं है, क्योंकि साक्षी पीछे बैठा था।

15— उदयभानसिंह अ.सा.७ का कहना है कि वह अभियुक्त को जानता है। मृतक इतवारी उसका पिता था। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से 5-6 वर्ष पूर्व ग्राम अतरचूहा की शाम के 4:00 बजे की है। साक्षी गांव के लड़के की बारात में ट्रेक्टर से गांव के व्यक्ति के साथ जा रहा था। साक्षी का पिता भी गांव के लोगों के साथ बारात में जा रहा था। ड्राईवर शराब पीये हुए था और ट्रेक्टर को तेज चला रहा था। अभियुक्त द्वारा वाहन को मोड़ पर लहराया था, इस कारण साक्षी के पिता ट्रेक्टर से गिर गए थे। साक्षी के पिता की छाती के उपर से वाहन निकल गया था। दुर्घटना में साक्षी के पिता को छाती के पास, कान में, सिर में चोट लगी थी। वाहन को रोकने के बाद साक्षी के पिता को देखने के लिए डॉक्टर को लेकर आए थे। साक्षी उसके पिता को घर ले गया था। 5–6 घंटे के बाद साक्षी के पिता खत्म हो गए थे। साक्षी ने पुलिस को बयान दिया था। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि ट्रेक्टर को अभियुक्त तेज गति से चला रहा था। अभियुक्त ने ट्रेक्टर को बहुत तेजी से चलाते हुए ट्रेक्टर को उचका दिया था। इस कारण साक्षी के पिता गिर गए थे। इस कारण साक्षी के पिता को गाल, गले, कमर में चोट लगी थी।

16— विष्णुप्रसाद राय अ.सा.८, अविनाश चन्द्र राय अ.सा.७ का कहना है कि उनके सामने अभियुक्त से कोई जप्ती नहीं हुई थी एवं अभियुक्त को उनके सामने प्रदर्श पी—7 के गिरफ्तारी पंचनामे द्वारा गिरफ्तार नहीं किया था। प्रदर्श पी—6 के जप्तीपंचनामा, प्रदर्श पी—7 के गिरफ्तारी पंचनामा में साक्षीगण ने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। दोनों साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी विष्णुप्रसाद राय अ.सा.८ ने स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी—6 एवं प्रदर्श पी—7 पर कार्यवाही के पश्चात् अ से अभाग पर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में विष्णुप्रसाद राय अ.सा.८ ने बताया है कि उसने प्रदर्श पी—6 एवं प्रदर्श पी—7 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने दस्तावेज पढ़कर नहीं सुनाए थे। दोनों साक्षीगण ने अन्य किसी बिन्दु पर अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। अविनाश चन्द्र राय अ.सा.७ ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे पता नहीं है कि उसने हस्ताक्षर कब एवं किसके कहने पर किये थे। साक्षी के समक्ष ट्रेक्टर एवं ट्रॉली मय दस्तावेजों के जप्त नहीं किये थे। विष्णुप्रसाद राय अ.सा.८, अविनाश चंद्र राय अ.सा.० ने प्रदर्श पी—6 के जप्तीपंचनामा एवं प्रदर्श पी—7 के गिरफ्तारी पंचनामा

की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

17— देवकंठ सोनी अ.सा.10 प्रधान आरक्षक का कहना है कि उसने थाना गढ़ी में रामजी की रिपोर्ट पर से मर्ग क—08/06 कायम किया था। थाना प्रभारी के आदेश से उसे मर्ग की डायरी जांच के लिए सोंपी गई थी, तब उक्त साक्षी ने प्रार्थी रामजी, गवाह गुलाबसिंह, उदयभानसिंह, फूलवतीबाई, पेमलसिंह, कमलसिंह, पूरन, जयसिंह के कथन लेखबद्ध किये थे। जांच पर से अभियुक्त द्वारा तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर चलाकर घटना घटित करने का अपराध पाए जाने से अप.क—20/06 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—8 दर्ज कर गवाहों के कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—1 तैयार किया था। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त द्वारा घटना किया जाना पाए जाने से अभियुक्त को प्रदर्श पी—7 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। प्रकरण में प्रयुक्त ट्रेक्टर क—एम.पी—52 एम/0499 मय ट्रॉली एवं दस्तावेजों के जप्त कर प्रदर्श पी—6 का जप्ती पंचनामा बनाया था। देवकंठ सोनी अ.सा.10 ने उसके अनुसंधान की पुष्टि की है।

18— हिरदेसिंह अ.सा.12 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से 4 वर्ष पूर्व की है। ट्रेक्टर क—एम.पी—52/एम—0499 एवं ट्रॉली क—एम. पी—52/एम—0501 का वह मालिक है। दिनांक—06.05.06 को अभियुक्त उसका ट्रेक्टर चला रहा था। साक्षी ने घटना नहीं देखी थी। साक्षी को घटना के बाद बताया गया था कि उसके ट्रेक्टर से घटना हुई थी। साक्षी ने ट्रेक्टर सुपुर्दगी पर लिया था। सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी—10 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

19— रामजी अ.सा.1, गुलाबसिंह अ.सा.2, कमलसिंह अ.सा.4, पूरन अ.सा.5, पेमलसिंह अ.सा.6, संतराम विश्वकर्मा अ.सा.13 ने उसकी साक्ष्य में इस बात का समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्त ने ट्रेक्टर को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित कर मृतक इतवारी की मृत्यु कारित की थी। फूलवतीबाई अ.सा.2 मृतक की पत्नी है। उक्त साक्षी घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। उक्त साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है। उदयभानसिंह अ.सा.7 मृतक इतवारी का पुत्र है, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उक्त साक्षी ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि अभियुक्त शराब पीकर ट्रेक्टर को तेज गित से चला रहा था अभियुक्त ने ट्रेक्टर को तेज गित से चलाकर साक्षी के पिता को ट्रेक्टर से नीचे

गिरा दिया था, जिससे साक्षी के पिता की मृत्यु हो गई थी। घटना के समय उक्त साक्षी भी घटना कारित करने वाले वाहन में बैठा हुआ था। ट्रेक्टर के मालिक हिरदेसिंह अ.सा.12 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि दिनांक-06.05.06 को अभियुक्त उसका ट्रेक्टर चला रहा था। अभियुक्त ने अपने बचाव में ऐसी कोई स्थिति प्रकट नहीं की है कि घटना के समय वह घटना कारित करने वाले ट्रेक्टर को नहीं चला रहा था। हिरदेसिंह अ.सा.12 की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को अभियुक्त उसका घटना कारित करने वाला ट्रेक्टर क-एम.पी-52 / एम-0499, ट्रॉली क-एम.पी-52 / एम-0501 को चला रहा था एवं उदयभान अ.सा.७ की साक्ष्य से यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर घटना कारित करने वाले ट्रेक्टर को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाते हुए मृतक इतवारी को गिराकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की थी, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304ए का अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304ए के आरोप में 2 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 500 / – रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की दशा में अभियुक्त को 1 माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

- 20— अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावे।
- 21— अभियुक्त का धारा–428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 22— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 23— अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे 🕻
- 24— प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर, ट्रॉली की प्रकरण में सुपुर्दगीनामे में हैं या नहीं इस संबंध में प्रकरण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस कारण प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर, ट्रॉली अपील अवधि पश्चात् उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कियें जावें, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट